5

विद्यालय-आधारित आकलन
अवधारणा तथा औचित्य

संध्या संगई*

विद्यालय-आधारित आकलन (School based Assessment– एस.बी.ए.) प्राथमिक कक्षाओं में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न पहलू है। इसे सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इसे कक्षा की दिन-प्रतिदिन की प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से शामिल किया जाए। बच्चों को भयमुक्त वातावरण के साथ-साथ अनेक प्रकार के अवसर दिए जाने चाहिए तथा उनके बहु-आयामी व्यक्तित्व का आकलन किया जाना चाहिए। आकलन के महत्त्व को समझते हुए समय-समय पर आकलन की विधाओं में परिवर्तन लाए गए ताकि प्राथमिक स्तर पर इसे केंद्रित और सरल बनाया जा सके। विद्यालय-आधारित आकलन एक ऐसी पद्धति है जिसमें शिक्षक को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह आकलन के ऐसे तरीकों को प्रयोग में लाए जिससे बच्चों की सीखने की क्षमता तथा गुणवत्ता का विकास उत्तरोत्तर हो। वर्तमान लेख आकलन तथा मूल्यांकन के विभिन्न पक्षों पर ऐतिहासिक चर्चा करते हुए विद्यालय-आधारित आकलन पर लेखक के विचारों की एक संक्षिप्त प्रस्तुति है।

आकलन अथवा आकलन प्रक्रिया विद्यालय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील मुद्दा है। बहुत पहले आकलन को सीखने-सिखाने की प्रक्रिया से अलग रखा जाता था। कक्षा में विषयवस्तु तथा पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षक पाठ्यपुस्तक को मुख्य सामग्री की तरह प्रयोग करते थे। आमतौर पर पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को आकलन का आधार बना लिया जाता था। कई बार शिक्षक उन प्रश्नों के उत्तर भी विद्यार्थियों को लिखवा दिया करते थे। अपेक्षा यही होती थी कि विद्यार्थी उन प्रश्नों के उत्तर भली-भाँति याद कर लेंगे तथा परीक्षा में वे प्रश्नों के उत्तर देंगे तथा अध्यापक भी उन्हें आसानी से जाँचकर उचित अंक देंगे। इस प्रकार आकलन की प्रक्रिया पूरी होती थी तथा प्राप्त अंक अगली कक्षा में जाने के लिए बच्चों का रास्ता खोल देते थे। आइए, इस व्यवस्था का अवलोकन करें। इस व्यवस्था में कुछ बातें तो स्पष्ट दिखाई देती थी, जैसे—

1. कक्षा में किस प्रकार से विषयवस्तु को समझाया गया या क्या वास्तव में बच्चे कक्षा में चल रही सीखने-सिखाने की प्रक्रिया से कुछ समझ पा रहे हैं या नहीं, मूल्यांकन प्रक्रिया का इससे संबंध नहीं होता था।

* *प्रोफ़ेसर*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

© NCERT not to be republished

2. कक्षा में केवल पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण किया जाता था। अन्य उपलब्ध संसाधनों के बारे में बच्चों को कोई जानकारी नहीं दी जाती थी और न ही शिक्षक उनका प्रयोग कक्षा में करते थे।
3. बच्चों के सीखने का स्तर तथा उनकी सीखने की क्षमता का आकलन केवल पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए प्रश्नों के आधार पर ही किया जाता था।
4. आकलन का उद्देश्य बच्चे के समग्र विकास के बारे में टिप्पणी करना नहीं था, अपितु केवल विषय आधारित परीक्षण में उपलब्ध अंकों द्वारा बच्चों की प्रगति को इंगित करना हुआ करता था।
5. आकलन में प्रतिपुष्टि का कोई स्थान नहीं था। अन्य शब्दों में बच्चे अपने अधिगम स्तर तथा क्षमता को किस प्रकार बेहतर बना सकते हैं, इस प्रकार का कोई प्रावधान इस प्रक्रिया में दिखाई नहीं देता था।

समय के साथ-साथ जैसे-जैसे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होते गए, कक्षा शिक्षण में भी कई बदलाव आए तथा सीखना-सिखाना आकलन को एक त्रिभुज के माध्यम से दर्शाया जाने लगा जिसका अर्थ था— सीखना, पढ़ाना तथा आकलन। ये तीनों कक्षा प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं तथा एक-दूसरे से संबंधित हैं। 1986 तथा 1992 की नई शिक्षा नीति में विद्यालयी शिक्षा

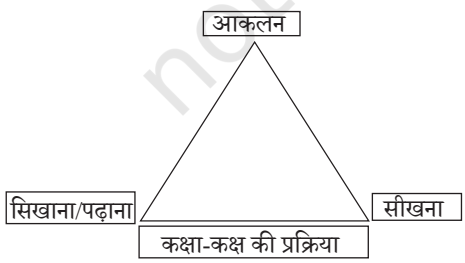

के क्षेत्र में कई सुधार प्रस्तावित किए गए, जिसमें एक महत्वपूर्ण सुधार सतत एवं समग्र आकलन से संबंधित था। आवश्यकता थी यह समझने की कि जब शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है तो इसके लिए आकलन व्यवस्था भी ऐसी ही हो, जो बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं के विकास की ओर ध्यान दे तथा रचनात्मक आकलन पर ज़ोर दिया जाए। रचनात्मक आकलन का उद्देश्य बच्चों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं में हो रहे विकास की समय-समय पर जाँच कर बच्चों को इस प्रकार संबलन देना है कि वे तीव्रतर गति से विकास कर सकें तथा उनके व्यक्तित्व के कमज़ोर क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा सके। नई शिक्षा नीति (1986, 1992) में बच्चों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन (सी.सी.ई.) की चर्चा की गई थी।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या तथा आकलन

सतत एवं समग्र मूल्यांकन की विधि को कार्यात्मक रूप देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.) द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज़ *(नेशनल करीकुलम फ़ॉर एलिमेन्ट्री एंड सैकेंडरी एजुकेशन— ए फ्रेमवर्क, 1988)* में आकलन संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। बाद में *प्रोग्राम ऑफ़ एक्शन, 1992* में परीक्षा के क्षेत्र में सुधारों की रणनीति पर चर्चा की गई। वर्ष 1988 के उपरांत भी रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा दो राष्ट्रीय पाठ्यचर्याएँ, वर्ष 2000 में तथा 2005 में तैयार की गईं। इन दस्तावेज़ों में भी शिक्षा के क्षेत्र में आकलन की ऐसी विधि की सिफ़ारिश की गई जो बच्चों के सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखे तथा बच्चों की कुशलताओं के उत्तरोतर विकास में सहायता करे।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.) द्वारा सतत एवं समग्र मूल्यांकन के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न दस्तावेज़ बनाए गए तथा विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यूँ तो शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए हर दस्तावेज़ में सिफ़ारिश की गई और यथासंभव प्रयास भी किए गए लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया कि सभी बच्चे जो 6–14 वर्ष के आयु वर्ग में आते हैं, उन्हें गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इस अधिनियम के तहत विद्यालय में बच्चों के आकलन के लिए सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली को लागू करने की सिफ़ारिश की गई। इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान बनाया गया कि कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने से पहले किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा (*नो डिटेंशन पॉलिसी*)। इस अधिनियम में हाल ही में दो नए परिवर्तन किए गए हैं। धारा 23(2) के अनुसार सीखने के प्रतिफल जो पहली से आठवीं कक्षा तक विषयवार बनाए गए हैं, उन्हें लागू करना है तथा धारा 16(2) के अनुसार राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे यदि पाँचवीं या आठवीं कक्षा में या उससे पहले बच्चों को उनके प्रदर्शन/प्रगति के आधार पर किसी कक्षा विशेष में रोकना (*डिटेंन* करना) चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं लेकिन इसके लिए वे प्रावधान स्वयं अपने राज्य के अधिनियम में करेंगे। बच्चों को कक्षा विशेष में रोकने के संबंध में (मैनर ऑफ डिटेंशन) केंद्र स्तर पर कुछ दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

विभिन्न शैक्षिक सुधारों ने यह स्पष्ट किया कि समय-समय पर बनाई गई नीतियों का उद्देश्य शिक्षा के बोझ को कम करते हुए इसकी गुणवत्ता को बढ़ाना है तथा इसे प्रासंगिक व आकर्षक बनाना है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आकलन प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों के समग्र विकास के लिए सतत एवं समग्र आकलन पर ज़ोर दिया गया है। यह भी सिफ़ारिश की गई है कि बच्चों की सतत प्रगति पर ध्यान देने के लिए बाल-केंद्रित आकलन होना चाहिए ताकि उचित समय पर प्रतिपुष्टि तथा सही संबलन देकर बच्चों के उपलब्धि स्तर को आगे बढ़ाया जा सके।

विद्यालय-आधारित आकलन

विद्यालय-आधारित आकलन को सर्वप्रथम सितंबर, 2000 में रिफ़ोर्म प्रोपोज़ल फ़ॉर एजुकेशन सिस्टम इन हांगकांग में प्रस्तावित किया गया था, जिसके अंतर्गत प्रमुख तौर पर सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली पर पुनर्विचार करने को कहा गया था। साथ ही आधारभूत योग्यताओं पर ज़ोर दिया गया जो आज के संदर्भ में सीखने के प्रतिफलों के रूप में व्यक्त की जा रही हैं। इस सुधार ने भी बच्चों के व्यक्तिगत आकलन की आवश्यकता पर दबाव डाला तथा यह अपेक्षा की कि सीखने व सिखाने की मौजूदा पद्धति तथा रीति को बदलना चाहिए। रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा तैयार किए गए *राष्ट्रीय फोकस समूह के आधार पत्र परीक्षा प्रणाली में सुधार* में भी विद्यालय-आधारित आकलन की चर्चा की गई है तथा इसकी वैधता बनाए रखने के लिए आवश्यक बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला गया है। विद्यालयों को इस प्रकार की स्वतंत्रता अवश्य

© NCERT not to be republished

होनी चाहिए कि वे आकलन के कुछ आयामों, जैसे— कक्षा में बच्चों के कार्य तथा सीखने के तरीके, प्रोजेक्ट-कार्यों में उनकी निहितता तथा विद्यालय की गतिविधियों में उनकी भागीदारी का भी आकलन कर सकें। विद्यालय-आधारित आकलन विद्यालय के बच्चों, शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों तथा अन्य हितधारकों को अपनी प्रगति के बारे में स्व-आकलन करने का अवसर देता है जिसके आधार पर वे गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए उचित कदम उठा सकते हैं। विद्यालय-आधारित आकलन के गुणों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में इस प्रणाली को लागू करने की चर्चा की जा रही है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के उपरांत आकलन की विस्तृत चर्चा करने के लिए प्राथमिक स्तर के लिए विभिन्न विषयों की स्रोत पुस्तिकाएँ तैयार की गईं। इन पुस्तिकाओं में आकलन का महत्त्व तथा आकलन के विभिन्न तरीकों को शिक्षक के लिए सामान्य भाषा में प्रस्तुत किया गया।

आकलन स्रोत पुस्तिका के अनुसार बच्चों के आकलन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

- भिन्न-भिन्न विषयों में समय की एक अवधि विशेष में बच्चे की प्रगति और उसमें आने वाले परिवर्तनों का पता लगाना।
- बच्चे की व्यक्तिगत और विशेष ज़रूरतों को पहचानना।
- अधिक उपयुक्त तरीकों के आधार पर अध्यापन और सीखने की स्थितियों की योजना बनाना।
- कोई भी बच्चा क्या कर सकता है और क्या नहीं, उसकी किन चीज़ों में विशेष रुचि है, वह क्या करना चाहता है और क्या नहीं, इन सबके प्रति समझ बनाने में उसकी मदद करना।
- बच्चों को कुछ प्राप्त कर पाने के लिए प्रोत्साहित करना और पूर्णता की भावना का विकास करना।
- कक्षा में चल रही सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना।
- बच्चों की प्रगति के प्रमाण तय कर पाना जिन्हें अभिभावकों और दूसरों तक संप्रेषित किया जा सके।
- बच्चों के आकलन के प्रति व्याप्त भय को दूर करना और बच्चों को स्व-आकलन के लिए प्रोत्साहित करना।
- प्रत्येक बच्चे के सीखने और विकास में मदद करना और सुधार की संभावनाएँ खोजना।

विद्यालय-आधारित आकलन ऐसी पद्धति है जिसमें विभिन्न हितधारक समूह सम्मिलित होते हैं, जैसे— बच्चे, अभिभावक, साथी, शिक्षक आदि। आकलन का उद्देश्य बच्चों के उपलब्धि स्तर का आकलन इस प्रकार करना है कि बच्चों की सीखने में रुचि बढ़े और वे सतत रूप से आगे बढ़ें। इस पद्धति का मुख्य उद्देश्य बच्चों के लिए इस प्रकार के वातावरण का सृजन करना है कि वे भयमुक्त होकर पढ़ाई में रुचि लें। इस व्यवस्था का प्रारंभ कक्षा-कक्ष से होता है। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है एवं प्रारंभ से ही शिक्षक आकलन के तरीकों का नियोजन करता है फिर आकलन के विभिन्न

© NCERT not to be republished

आयामों को निश्चित करता है जिससे बच्चों का विकास समग्र रूप से हो सके।

2. यदि इस परिवर्तन की आवश्यकता सीखने के प्रतिफलों की उपलब्धि के लिए है तो विद्यालय-आधारित आकलन पद्धति में समयानुसार परिवर्तन करने के लिए शिक्षक अधिकृत होता है।
3. इसका संचालन मुख्य रूप से कक्षा-कक्ष आधारित है।
4. आकलन बच्चों के अपने शिक्षकों द्वारा किया जाता है, बाहरी पक्षों द्वारा नहीं।
5. इस आकलन में बच्चे स्व-आकलन करते हैं तथा साथी द्वारा आकलन करके भी आकलन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।
6. इस व्यवस्था में शिक्षक बच्चे को तुरंत रचनात्मक रूप से प्रतिपुष्टि प्रदान कर सकते हैं।
7. आकलन की यह पद्धति सतत आकलन को सक्रिय करती है तथा सीखने-सिखाने की विधि में समुचित परिवर्तन को अधिकृत करती है।

इस प्रकार विद्यालय-आधारित आकलन सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में समेकित आकलन है तथा इसका उद्देश्य बच्चों द्वारा सीखने के प्रतिफलों की उपलब्धि को आसान बनाना है। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005* द्वारा भी आकलन की ऐसी विधि की अपेक्षा की गई है जो विद्यालय-आधारित हो और जो बच्चे के बारे में समग्र रूप से, न केवल संज्ञानात्मक अपितु उनके भावात्मक, शारीरिक, सामाजिक व संवेदनात्मक विकास के बारे में भी जानकारी दे सके।

विद्यालय-आधारित आकलन एवं सी.सी.ई.

विद्यालय-आधारित आकलन के बारे में पढ़ने के बाद स्वाभाविक रूप से पाठकों के मन में यह प्रश्न उठेगा कि क्या यह आकलन की पद्धति पहले से चर्चा में रहे सतत एवं समग्र आकलन से भिन्न है? यदि हाँ तो किस प्रकार? वास्तव में विद्यालय-आधारित आकलन का आधार तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन ही है। इसका उद्देश्य भी एक भयमुक्त वातावरण में बच्चों के समग्र विकास के लिए उनका सतत रूप से आकलन करना है और इस आकलन प्रक्रिया में उन्हें स्वाभाविक तथा साथी द्वारा आकलन के लिए प्रेरित करना है ताकि बच्चे धीरे-धीरे स्वतंत्र शिक्षार्थी बन सकें। आकलन के लिए वे सभी विधियाँ जो सी.सी.ई. के लिए सुझाई गई हैं, वे सभी विधियाँ इसके लिए भी लागू होती हैं। प्रमुखत: कक्षा में बच्चों को अकादमिक तथा अन्य क्षेत्रों में प्रदर्शन का अवलोकन तथा साथ ही साथ उन्हें प्रतिपुष्टि देना, बच्चों की विशेष गतिविधियों के बारे में लिखने के लिए उपाख्यान का प्रयोग, सीखने के विकास को जानने के लिए रूब्रिक्स तथा पोर्टफ़ोलियो का प्रयोग आदि। सी.सी.ई. को साधारणत: आकलन की एक निर्धारित प्रणाली मान लिया जाता है तथा इसको कक्षा में लागू करने के लिए शिक्षक पूर्णत: स्वतंत्र नहीं होता। राज्य शिक्षा विभाग द्वारा जैसा आदेश होता है उसी का निष्पादन किया जाता है। ये आदेश अकसर आकलन संबंधी रिकॉर्ड रखने या पाठ्यक्रम समाप्ति के लिए सत्र विभाजन से संबंधित होते हैं। मॉनीटरिंग अधिकारी इन सभी दस्तावेज़ों की जाँच भी करते हैं तथा उन्हीं के आधार पर टिप्पणी देते हैं। इस प्रकार वर्तमान समय में जो सी.सी.ई. का स्वरूप

© NCERT not to be republished

प्रयोग में है, उसमें शिक्षक की स्वायत्तता बहुत सीमित है। विद्यालय-आधारित आकलन के अंतर्गत कक्षा की आकलन व्यवस्था पूर्णत: शिक्षक द्वारा संचालित होती है। यह भी संभव है कि एक ही विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में आकलन की विधियाँ आपस में कुछ भिन्न हों। मुख्य उद्देश्य सीखने के प्रतिफलों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को स्वतंत्रता देता है कि वह कक्षा में विभिन्न प्रयोग करते हुए बच्चों का सतत एवं समग्र आकलन करे तथा इसकी विस्तृत एवं रचनात्मक रिपोर्ट बनाए जो आगे की कक्षा के अध्यापकों के लिए सहायक सिद्ध हो।

विद्यालय-आधारित आकलन का औचित्य

विद्यालय-आधारित आकलन की अवधारणा को समझने के साथ-साथ इसके औचित्य को जानना भी आवश्यक है विशेषकर शिक्षक वर्ग के लिए। मुख्य तौर पर विद्यालय-आधारित आकलन के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं—

- भयमुक्त वातावरण में बच्चों के सतत रूप से आकलन के लिए
- बाहरी परीक्षा प्रणाली पर निर्भरता कम करने के लिए
- बच्चों की योग्यता तथा उपलब्धि स्तर को ठीक तरह से समझने के लिए
- सीखने-सिखाने की क्षमता को गति देने के लिए
- बच्चों में सीखने की स्वायत्तता लाने के लिए
- बच्चों में स्वत: रूप से पढ़ने व सुनने की आदत विकसित करने के लिए
- शिक्षकों को आकलन तंत्र का अभिन्न अंग बनाने के लिए

विद्यालय-आधारित आकलन की विशेषताएँ

- शिक्षक की स्वायत्तता
- मूल्यांकन में लचीलापन
- कक्षा-कक्ष प्रक्रिया का महत्व
- स्व-आकलन तथा साथी द्वारा आकलन
- अविलंब रचनात्मक प्रतिपुष्टि
- बच्चों का सतत व समग्र आकलन
- उपयुक्त तथा तनावमुक्त वातावरण
- बाहरी पक्षों का हस्तक्षेप नहीं

विद्यालय-आधारित आकलन को प्रक्रिया तथा व्यवहारात्मक परिवर्तन के रूप में देखा गया है। यह परिवर्तन केवल शिक्षकों के संदर्भ में नहीं है अपितु सभी हितधारक समूह, जैसे— बच्चे, अभिभावक, स्कूल, समुदाय आदि, इससे प्रभावित होंगे यदि इसे सही मायने में लागू किया जाए। अकसर कुछ शिक्षक, बच्चे तथा अभिभावक आकलन की इस पद्धति की वैधता व विश्वसनीयता पर भी प्रश्न उठाते हैं क्योंकि यह मुख्य रूप से शिक्षक द्वारा संचालित होता है लेकिन शिक्षक-प्रशिक्षक तथा शोधकर्ता अंतत: इस प्रणाली के बेहतर परिणामों के लिए आशावादी है। संभव है प्रारंभ करते हुए कुछ संकोच हो लेकिन धीरे-धीरे शिक्षकों का मनोबल तथा आत्मविश्वास बढ़ेगा और बच्चों की सक्रियता कक्षा की गतिविधियों में उत्तरोत्तर बढ़ेगी। इसका एक लाभ जो प्रत्यक्षत: दिखाई देता है, वह है— शिक्षकों का पेशेवर विकास।

निष्कर्ष

आकलन एक बहुत रुचिकर और लाभदायी उपयोगी प्रक्रिया बन सकती है। यह ध्यान रखना चाहिए कि

© NCERT not to be republished

बच्चों का आकलन क्यों कर रहे हैं। इससे बच्चों, माता-पिता और हमें यानी शिक्षाकों को क्या लाभ होगा। बच्चों पर किसी तरह का ठप्पा तो नहीं लगेगा, जैसे— मंद, बुद्धिमान आदि। बच्चों की तुलना से भी बचना होगा। विषयों तथा अन्य क्षेत्रों में बच्चों की सीखने संबंधी प्रगति के बारे में सूचनाएँ इकट्ठी करने के लिए पोर्टफ़ोलियो आदि का प्रयोग करना होगा। सतत रूप से सूचनाओं का संग्रहण और उन्हें दर्ज़ करना होगा। प्रत्येक बच्चे के सीखने के तरीके, उसकी गति और उत्तर देने की शैली को महत्व देना होगा। नकारात्मक टिप्पणियों से बचना होगा। बच्चों को सकारात्मक फीडबैक देना होगा ताकि वे अपने अंदर आत्मविश्वास जागृत कर आगे बढ़ सकें।

संदर्भ

भारत सरकार. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 संशोधित (1992)*. मानव संसाधन विकास मंत्रालय. नयी दिल्ली.

रा.शै.अ.प्र.प. 2003. *विद्यालय-आधारित आकलन*. क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से संबंध डी.एम.स्कूल की प्राथमिक कक्षाओं में परीक्षण की गई एक प्रणाली— शोध प्रतिवेदन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

——. 2008. *परीक्षा प्रणाली में सुधार—फोकस समूह का आधारपत्र*, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

——. 2009. *आकलन स्रोत पुस्तिका*. हिंदी प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

© NCERT not to be republished